# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 38/2017/टीए

अमरचंद पिता लालू माली
निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. गेंदमल पिता कजोडीमल शर्मा
2. बाली बेवा ऊंकार शर्मा
3. सत्यनारायण पिता भीमराज शर्मा
   सभी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय/आदेश न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 27.07.2017 प्रकरण सं. 205/2015

उपस्थित – 1. श्री संजय मौड – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री चंदनमल जणवा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 से 3

निर्णय दिनांक– 06.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 तक के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत एवं आधारहीन तथ्यो पर इस आशय का प्रार्थना पत्र किया कि अपीलान्ट संख्या 1 से लगायत 3 की ग्राम बानसेन पटवार हल्का बानसेन के आराजी नबर 1254/1, 1256/1, 1256/3, 1245/2, 1256/4, 1245/1, 1254, 1258 मीन, 1258, 1259, 1281/2ख व नये आराजी नम्बर 1642, 1647, 1617, 1633, 1638, 1643, 1645, 1619, 1636, 1639, 1640, 1648, 1675 मे स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात मे आने जाने के लिये आराजी नम्बर 1650, 1651 जो नजरी नक्शे मे उत्तर दिशा मे दर्शाई है वहां से वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण को दिला कर प्रार्थीगण की आराजी हेतु नया रास्ता रिकार्ड मे अंकन किया जावे। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्टस काफी लम्बे समय से आते जाते रहे है वर्तमान मे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त आराजीयात मे आने जाने के लिये रास्ता चाह रहे है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दर्ज करवाया जिससे अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिकार प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के खण्डन मे जवाब प्रस्तुत किया।

जवाब मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित 1650 व 1651 विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जो विपक्षी संख्या 1 तन्हा मालिक होकर उपयोग उपभोग करता चआ आ रहा है। प्रार्थीगण के पास मे वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण विपक्षी की आराजी नम्बर 1650 व 1651 मे सुगत व सुलभ रास्ता बनाने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका प्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने मनमकसुद तरीके से काल्पनिक नजरी नक्शा पेश किया तथा इस आधार पर विपक्षी की आराजीयात एक पांति होकर उसको नष्ट व अनुऊपजाऊ बनाने की दृष्टि से प्रार्थीगण ने मुक्ष विपक्षी की आराजीयात मे से रास्ता चाहा है। जो विधि के विपरीत है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपीलान्ट/विपक्षी ने जवाब की कॉलम संख्या 4 मे अंकित किया है कि अनुतोष मुआवजा माननीय न्यायालय द्वारा नियत नही किया जाकर डीएलसी से तीन गुना व प्रचलित बाजार दर से दिलाया जावे। विकल्प मे प्रार्थीगण की आराजीयात मे से 0.0528 है0 भूमि मुक्ष विपक्षी/अपीलान्ट की लगमा ही प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात है। उसे मुझ प्रार्थीगण की जमीन मे सम्मिलित किया जावे तथा 0.528 मेरी खातेदारी की जमीन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को दे दी जावे। विपक्षी संख्या 1 कृषि आराजीयात पूरी हो सके। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी एक्ट के तहत मुझ विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रार्थीगण गेंदमल पिता मजोडीमल शर्मा, बालीबाई बेवा ऊंकार शर्मा, सत्यनारायण पिता भीमराज शर्मा निवासी आनसेन प्रार्थीगण के रूप मे ग्राम बानसेन पटवार हल्का बानसेन मे स्थित आराजीयात जो चरण संख्या 1 मे उल्लेखित की गई जो प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रिकार्ड का अंकन करते हुए खाता संख्या 152,214,374 के सह खातेदारान के रूप मे रतनलाल, पिता भीमराज सोहनीबाई बेवा भीमराज शंकरलाल अम्बालाल लक्ष्मीलाल पिता गेदमल व श्यामलाल पिता भमराज सह खातेदार के रूप मे दर्ज रिकार्ड है। जिनको उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण अथवा विपक्षी के रूप मे आवश्यक पक्षकार बनाया जाना था लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त सह खातेदारो को पक्षकारा के रूप मे कायम नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय मे यह कथन किया कि तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाकर निर्णय पारित किया है जबकि वास्तव मे उक्त प्रकरण मे

तहसीलदार भदेसर द्वारा न तो कोई कमिश्नर नियुक्त किया गया न ही तहसीलदार स्वंय मौके पर आये न पटवार हल्का बानसेन ही मौके पर आये ना ही कोई मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27/07/2017 को निर्णय पारित कर दिया इससे पूर्व प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27/07/2017 के निर्णय की जानकारी नही थी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे बानसेन मे पेश हुई यह प्रासेडिग दिनांक 23/06/2017 की है। निर्णय दिनांक 05/07/2017 को पेश हो दिनांक 05/07/2017 को राजस्व कैम्प पधारे है इसलिये आगामी पेश दिनांक 20/07/2017 रही जिसमे अंकित किया गया है कि निर्णय नही लिखाया गया। दिनांक 27/07/2017 को वकील पक्ष उपस्थित प्रत्यर्क्षीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 23/06/2017 को राजस्व लोक अदालत मे कोई बहस नही सुनी गई। न ही अपीलान्ट को लोक अदालत मे लोक अदालत के नोटिस ही जारी हुए है। जिससे दिनांक 27/07/2017 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। अपीलान्ट ने धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21/07/2017 खारीज किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे व विकल्प मे प्रकरण संख्या 205/2015 को पारित निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा विकल्प मे पत्रावली के गुणावगुण पर रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई की जाकर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1650 तथा 1651 तथा प्रतिपक्ष की भूमि खसरा नम्बर 1642, 1647, 1617, 1635, 1638, 1642, 1645, 1649, 1636, 1639, 1640, 1648, तथा 1675 है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगाई गई जो दिनांक 14/09/2015 को प्राप्त हुई जिसके अनुसार मौके पर वैकल्पिक मार्ग नही होना बताया। साथ ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग से लगती हुई स्वंय की भूमि होना बताया जिसमे रास्ता उपलब्ध है तथा निर्बाध रूप से चल रहा है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे खसरा नम्बर 1639, 1636, 1640 तथा 1645 के कृषक को पार्टी नही बनाया है। राजस्व मण्डल इसी मामले मे निगरानी संख्या टीए/623/2016/चित्तौडगढ अमरचंद बनाम गेंदमल मे पारित निर्णय दिनांक 23/11/16 के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र निस्तारण बाबत् निर्देश दिये गये है। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के

निर्णय के समय ध्यान नही दिया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। उनके द्वारा अपने हक मे 2016 आरआरटी पार्ट – 1 पृष्ठ संख्या 649 तथा 2016 पार्ट–2 आरआरटी पृष्ठ 798 की नजीरे भी पेश की है।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दिनांक 14/09/2015 की मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख है कि खसरा नम्बर 1651 मे रास्त चाहते है जिसके आगे खसरा नम्बर 1664 मे पहले से ही रास्ता चल रहा है। मौको रिपोर्ट मे कोई रास्ता उपलब्ध होना नही बताया गया है। 1651 मे रास्ता मांगने का कारण यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1261 मे से पहले रास्ता था वही अब मांगा जा रहा है। सेटलमेन्ट के दौरान यह रास्ता विलोपित कर दिया गया था। अमरचंद ने अपने बयान मे भी माना है कि पहले रास्ता था लेकिन बाद मे बन्द कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट को आबादी मे आने का रास्ता नही है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग से गांव मे आना जाना, फसल काश्त करने आदि मे कठिनाई आती है। ऐसी सूरत मे स्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण रिकार्ड एवं परिस्थितियो को विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 14/09/2015 के आधार पर निर्णय किया गया है। श्री अमरचंद द्वारा भी साक्ष्य मे इस बात की ताईद की गई है कि सेटलमेन्ट से पूर्व रास्ता चालु था। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने मे कोई त्रुटि नही की गई है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 205/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 27/07/2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ